

विदेश संदेश

हमास के हमले मारे गए नेपालियों के परिवारों को इजराइल आजीवन आर्थिक सहयोग देगा

नेपाल। फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास के आक्रमण में मारे गए नेपाली नागरिकों के परिवारों को इजराइल सरकार आजीवन आर्थिक सहयोग देगा। नेपाल में इजराइल के राजदूत हनान गोडर ने विदेश मंत्री नारायणकाजी श्रेष्ठ से मूलाकात कर सरकार के फैसले की जानकारी दी। गोडर ने विदेश मंत्री को बताया है कि सहायता की पहली किस्त पौर्णित परिवारों को उपलब्ध करा दी गई है। हमास के इजराइल पर हमले में करीब 10 नेपाली नागरिक मारे गए हैं। इनमें से अधिकांश कृषि विदेशीयालय के विद्यार्थी थे। मगर कचनपुर जिले के एक छात्र विदेश जोशी की अब तक कोई खबर नहीं मिल पाई है। न तो उसका शब्द ही मिल पाया है और न हमास ने उसके बंधकों को बताया ही दी है। हालांकि इजराइल सरकार ने विदेश मंत्री नारायणकाजी के परिवार को भी आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई है। इजराइली राजदूत ने कहा है कि जब तक उसका पता नहीं लग जाता तब तक उसके परिवार को भी आर्थिक सहायता नियमित उपलब्ध कराएं जाएंगी।

इजराइल सरकार ने उन 134 लोगों के परिवारों को भी इस माह से आसिक भांत देना शुरू किया गया है जो अब तक हमास के कब्जे में है। राजदूत गाडर ने इजराइल के तहत वहां रहने वाले नेपाली भी विदेशी नागरिकों की ओर आतंकी हमले में जान जाती है तो उसके परिवार को इजराइल के नागरिकों की तरह सारी सुविधा मिलती रहेगी।

रूसी सेना में कार्यरत सात नेपाली नागरिकों की मौत

नेपाल। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि रूस की सेना में कार्यरत उसके 07 नागरिकों की मौत हो गई है। नेपाल ने यह भी कहा है कि रूसी सेना में कार्यरत उपर्युक्त अन्य नागरिकों की सुरक्षित वापसी के लिए कूर्जीनीतिक प्रयास जारी हैं। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को एक बयान में उन 07 लोगों के नाम सार्वजनिक किए हैं जिनकी मौत रूस-यूक्रेन युद्ध के दौरान हाल ही में हुई है। बास्को स्थित नेपाली दूतावास से जानकारी मिलने के बाद विदेश मंत्रालय ने इसकी सच्चाई सावधानिक की है। रूस-यूक्रेन युद्ध में मारे गए नेपाली नागरिकों में धारिंग जिले के पूर्व बहादुर गुहां और जारकोट जिले के नवीन शाही, उदयपुर के पदम बहादुर घिमिरे, झापा के गोपालगंगा, बालुगांग जिले के जीत बहादुर घिमिर्को, बाँको के संजय केसी और रस्युवाके सुंदर मोक्तान शामिल हैं।

नेपाल में लिव-इन रिलेशनशिप को कानूनी मान्यता देने की मांग, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर

नेपाल। नेपाल के सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर लिव-इन रिलेशनशिप को कानूनी मान्यता देने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट की बैठकी अनु भृत्यां ने यह याचिका गुरुवार को दायर की याचिकाकर्ता एवं अधिकारका अनु भृत्यां ने कहा कि बिना शादी के एकसाथ रहने वाले लोगों की तादाद में काफी बढ़ाती हुई है। लिव-इन रिलेशनशिप को कानून के अधार में समाज पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। याचिका में मांग की गई है कि लिव-इन रिलेशनशिप को लेकर सरकार को कानून बनाने का परमाद्यां जारी जाए। इस मामले में प्रधानमंत्री मार्गिप्रियशंकर कार्यालय, यूह मंत्रालय, कानून मंत्रालय और संसदीय कार्यालय को भी पक्षकार बनाया गया है।

याचिकाकर्ता ने अमेरिका से लैले कर भारत तक में ऐसे कानून होने का जिक्र करते हुए नेपाल में भी सक्षम और योग्य पुरुष या महिला को लिव-इन रिलेशनशिप में रहने की ओर जोड़े की है। याचिका में कहा गया है कि उनके के अधार में लिविंग टूटोदर में रहने वाले जोड़े को नाम तो समाज स्वीकृत करता है और नामी भविष्य ही सुरक्षित रहता है। अधिकारका अनु भृत्यां ने कहा कि लिविंग टूटोदर अजासिर्फ़ फैशन ही नहीं बल्कि कई युवाओं की ज़रूरत भी है। ऐसे में बिना कानून के भी हजारों की संख्या में लोग लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं। कानून बन जाने से उनको समाज के प्रति, परिवार के प्रति और सरकार के प्रति भी जिम्मेदारी बढ़ जाएगी।

झमान खान को जेल में बैठक करने की भी इजाजत नहीं, दो हफ्ते की पाबंदी

रावलपिंडी। पाकिस्तान तहरीक-ए-इसाफ (पीटीआई) के संस्थापक झमान खान के जेल में बैठक करने पर पांचवीं लागू दी गई है। एक पीटीआई रिपोर्ट के अनुसार, खान को रावलपिंडी की अदियाला जेल के अंदर बैठके करने से दो रोक दिया गया।

जियो न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, खान को रावलपिंडी जेल के गृह विभाग की ओर से जीरी एक अधिसूचना में कहा गया है कि सुरक्षा अलंक की वजह से अदियाला जेल में सभी तरह की यात्राओं, बैठकों और साक्षात्कारों को प्रतिविधि बन दिया गया है।

अधिसूचना में अधिकारियों को जेल परिवार के बाहर कंटीले तार लगाने का अदेश दिया गया।

यह भी कहा गया है कि पुलिस की विशेष शाखा, ईटीजीसेस ब्यूरो के अधिकारियों और जेल कंटीलों का एक नया सुरक्षा ऑफिट एक ही दिन के भीतर किया जाए।

द न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, जेल में झमान खान की मूलाकातों पर अचानक पांचवीं लागू परीटीआई अद्यक्ष गौहर अलंकी खान ने गंभीर चिंता जारी।

यह भी कहा गया है कि एसएस की विशेष शाखा, ईटीजीसेस ब्यूरो के अधिकारियों और जेल कंटीलों का एक ही दिन के भीतर किया जाए।

अधिसूचना में अधिकारियों को जेल परिवार के बाहर कंटीले तार लगाने का अदेश दिया गया।

यह भी कहा गया है कि पुलिस की विशेष शाखा, ईटीजीसेस ब्यूरो के अधिकारियों और जेल कंटीलों का एक ही दिन के भीतर किया जाए।

अधिसूचना में अधिकारियों को जेल परिवार के बाहर कंटीले तार लगाने का अदेश दिया गया।

यह भी कहा गया है कि पुलिस की विशेष शाखा, ईटीजीसेस ब्यूरो के अधिकारियों और जेल कंटीलों का एक ही दिन के भीतर किया जाए।

अधिसूचना में अधिकारियों को जेल परिवार के बाहर कंटीले तार लगाने का अदेश दिया गया।

यह भी कहा गया है कि पुलिस की विशेष शाखा, ईटीजीसेस ब्यूरो के अधिकारियों और जेल कंटीलों का एक ही दिन के भीतर किया जाए।

अधिसूचना में अधिकारियों को जेल परिवार के बाहर कंटीले तार लगाने का अदेश दिया गया।

यह भी कहा गया है कि पुलिस की विशेष शाखा, ईटीजीसेस ब्यूरो के अधिकारियों और जेल कंटीलों का एक ही दिन के भीतर किया जाए।

अधिसूचना में अधिकारियों को जेल परिवार के बाहर कंटीले तार लगाने का अदेश दिया गया।

यह भी कहा गया है कि पुलिस की विशेष शाखा, ईटीजीसेस ब्यूरो के अधिकारियों और जेल कंटीलों का एक ही दिन के भीतर किया जाए।

अधिसूचना में अधिकारियों को जेल परिवार के बाहर कंटीले तार लगाने का अदेश दिया गया।

यह भी कहा गया है कि पुलिस की विशेष शाखा, ईटीजीसेस ब्यूरो के अधिकारियों और जेल कंटीलों का एक ही दिन के भीतर किया जाए।

अधिसूचना में अधिकारियों को जेल परिवार के बाहर कंटीले तार लगाने का अदेश दिया गया।

यह भी कहा गया है कि पुलिस की विशेष शाखा, ईटीजीसेस ब्यूरो के अधिकारियों और जेल कंटीलों का एक ही दिन के भीतर किया जाए।

अधिसूचना में अधिकारियों को जेल परिवार के बाहर कंटीले तार लगाने का अदेश दिया गया।

यह भी कहा गया है कि पुलिस की विशेष शाखा, ईटीजीसेस ब्यूरो के अधिकारियों और जेल कंटीलों का एक ही दिन के भीतर किया जाए।

अधिसूचना में अधिकारियों को जेल परिवार के बाहर कंटीले तार लगाने का अदेश दिया गया।

यह भी कहा गया है कि पुलिस की विशेष शाखा, ईटीजीसेस ब्यूरो के अधिकारियों और जेल कंटीलों का एक ही दिन के भीतर किया जाए।

अधिसूचना में अधिकारियों को जेल परिवार के बाहर कंटीले तार लगाने का अदेश दिया गया।

यह भी कहा गया है कि पुलिस की विशेष शाखा, ईटीजीसेस ब्यूरो के अधिकारियों और जेल कंटीलों का एक ही दिन के भीतर किया जाए।

अधिसूचना में अधिकारियों को जेल परिवार के बाहर कंटीले तार लगाने का अदेश दिया गया।

यह भी कहा गया है कि पुलिस की विशेष शाखा, ईटीजीसेस ब्यूरो के अधिकारियों और जेल कंटीलों का एक ही दिन के भीतर किया जाए।

अधिसूचना में अधिकारियों को जेल परिवार के बाहर कंटीले तार लगाने का अदेश दिया गया।

यह भी कहा गया है कि पुलिस की विशेष शाखा, ईटीजीसेस ब्यूरो के अधिकारियों और जेल कंटीलों का एक ही दिन के भीतर किया जाए।

अधिसूचना में अधिकारियों को जेल परिवार के बाहर कंटीले तार लगाने का अदेश दिया गया।

यह भी कहा गया है कि पुलिस की विशेष शाखा, ईटीजीसेस ब